

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2013/चैत्र 11, 1935

No. 157]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2013/CHAITRA 11, 1935

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 26 मार्च, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (आठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 195(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आर बी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (आठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम 1 अप्रैल 2013 से लागू होंगे।

# 2. अनुसूची 5 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, अनुसूची 5 में.

- (ए) पैराग्राफ 1 में,
  - (i) खंड (ई) में, "सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की एक साथ मिलाकर कुल होल्डिंग" शब्द "सभी पात्र निवेशकों की एक साथ मिलाकर कुल होल्डिंग" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

- (ii) खंड (एफ) में, "बशर्ते कि सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शाश्वत कर्ज लिखतों (टियर । पूजीं) में निवेश" शब्द "बशर्ते कि सभी पात्र निवेशकों द्वारा शाश्वत कर्ज लिखतों (टियर । पूजीं) में निवेश " शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) खंड (एफ) में, "कर्ज पूंजी लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश (टियर ॥) सेबी द्वारा निर्धारित कंपनी कर्ज में विदेशी संस्थागत निवेशक की निवेश सीमा के भीतर होगा।" शब्द हटा दिए जाएंगे।
- (iv) खंड (जी) में, ", बशर्ते उनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि और अवरूद्धता अवधि, समय समय पर, रिज़र्व बैंक के विनिर्देशानुसार हो" शब्द हटा दिए जाएंगे।
- (v) खंड (एच) में, ", बशर्ते उनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि और अवरूद्धता अवधि, समय समय पर, सेबी और रिज़र्व बैंक के विनिर्देशानुसार हो" शब्द हटा दिए जाएंगे।
- (vi) खंड (आई) में, "वे रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा, समय-समय पर, जारी अवरुद्ध्ता अविध और अविशिष्ट परिपक्वता अविधि की शर्त के तहत हो; यह भी" शब्द हटा दिए जाएंगे।

### (बी) पैराग्राफ 1ए में,

खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात;

- (v) अर्हताप्राप्त विदेशी ज़िबेशक, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, सेबी के पास पंजीकृत अर्हताप्राप्त निक्षेपागार सहभागी (QDP) के जिरये प्रतिभूतियों के जारीकर्ता से सीधे अथवा भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में पंजीकृत स्टाक ब्रोकर से निम्नितिखित प्रतिभूतियां, सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत खरीद सकता है;
  - "(ए) दिनांकित् सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिल;
  - (बी) किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर);
  - (सी) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें, बशर्ते कि किसी एक अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक द्वारा प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक शृंखला में कुल होल्डिंग प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत और सभी अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों की एक साथ मिलाकर कुल होल्डिंग परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की योजना के अंतर्गत प्रत्येक शृंखला के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
  - (डी) टियर । पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र शाश्वत कर्ज लिखत तथा भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी ऊपरी टियर ॥ पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र कर्ज पूंजी लिखत (रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित तथा समय-समय पर आशोधित टियर । पूंजी और टियर ॥ पूंजी) बशर्ते कि पात्र निवेशकों द्वारा शाश्वत कर्ज लिखतों (टियर । पूंजी) में निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा और किसी एक अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा।
- (ई) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा बाहय वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित है;

- (एफ) रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (IFC) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड;
- (जी) इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों द्वारा जारी रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांड/यूनिट।"

#### (सी) पैराग्राफ 1बी में,

#### (1) खंड (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- "(i) सरकारी धन निधियों (एसडब्ल्यूएफ), बहुपक्षीय एजेंसियों, धर्मादा (एन्डॉमेंट) निधियों, बीमा निधियों, पेंशन निधियों जैसे दीर्घकालिक निवेशक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों में पात्र निवेशकों के रूप में सेबी के पास पंजीकृत है वे इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों द्वारा जारी रूपये में मूल्यवर्गीकृत बांडों/युनिटों को प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीद सकते हैं।
- (2) मौजूदा खंड (iii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात,
- "(iii) सरकारी धन निधियां (एसडब्ल्यूएफ), बहुपक्षीय एजेंसियां, धर्मादा (एन्डॉमेंट) निधियां, बीमा निधियां तथा पेंशन निधियां और सेबी के पास पंजीकृत विदेशी केंद्रीय बैंक जैसे दीर्घकालिक निवेशक, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, ऐसी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता से सीधे अथवा भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में पंजीकृत स्टाक ब्रोकर से निम्नलिखित प्रतिभूतियां, सेबी और रिजर्व बैंक द्वारा, समय समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत खरीद सकते हैं, अर्थात:
- (ए) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिल;
- (बी) किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर);
- (सी) घरेलू म्य्च्य्अल निधियों की यूनिटें;
- (डी) किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड;
- (ई) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित है;
- (एफ) रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (IFC) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड;
- (जी) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें, बशर्ते कि किसी एकल दीर्घकालिक निवेशक द्वारा प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक शृंखला में कुल होल्डिंग प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत और सभी पात्र निवेशकों की एक साथ मिलाकर कुल होल्डिंग परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की योजना के अंतर्गत प्रत्येक शृंखला के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (एच) टियर । पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र शाश्वत कर्ज लिखत तथा भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी ऊपरी टियर ॥ पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र कर्ज पूंजी लिखत (रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित तथा समय-समय पर आशोधित टियर । पूंजी और टियर ॥ पूंजी) बशर्ते कि सभी पात्र निवेशकों द्वारा शाश्वत कर्ज लिखतों (टियर । पूंजी) में निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा

से अधिक नहीं होगा और किसी एकल दीर्घकालिक निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(आई) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों के प्राथमिक निर्गमों में निवेश, बशर्ते ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों में निवेश करने के 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध करने का वादा किया गया हो। यदि किसी कारण से ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड निर्गम होने के 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध नहीं हो पाते हैं तब दीर्घकालिक निवेशक तत्काल किसी तीसरी पार्टी या जारीकर्ता को ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड बेचकर उनका निपटान कर देगा और दीर्घकालिक निवेशक को किए गए प्रस्ताव में इस बाबत एक उपबंध होगा कि ऐसी कोई संभाव्य स्थिति होने पर ऐसी कर्ज प्रतिभूतियों का जारीकर्ता तत्काल दीर्घकालिक निवेशकों को जारी इन प्रतिभूतियों का मोचन कर देगा/वापस खरीद लेगा।

(डी) पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (1ए) में,

खंड (iv) निम्नितिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात "(iv) इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों दवारा जारी बांड/युनिट।"

[सं. फ़ेमा. 272/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

#### पाद टिप्पणी:-

मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग ।।, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(ई) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

- 02.03.2001 के जीएसआर सं.158 (ई)
- 13.03.2001 के जीएसआर सं.175 (ई)
- 14.03.2001 के जीएसआर सं.182 (ई)
- 02.01.2002 के जीएसआर सं.4 (ई)
- 19.08.2002 के जीएसआर सं.574 (ई)
- 18.03.2003 के जीएसआर सं.223 (ई)
- 18.03.2003 के जीएसआर सं.225 (ई)
- 22.07.2003 के जीएसआर सं.558 (ई)
- 23.10.2003 के जीएसआर सं.835 (ई)
- 22.11.2003 के जीएसआर सं.899 (ई)
- 07.01.2004 के जीएसआर सं.12 (ई)
- 23.04.2004 के जीएसआर सं.278 (ई)
- 16.07.2004 के जीएसआर सं.454 (ई)
- 21.09.2004 के जीएसआर सं.625 (ई)

```
08.12.2004 के जीएसआर सं.799 (ई)
01.04.2005 के जीएसआर सं.201 (ई)
01.04.2005 के जीएसआर सं.202 (ई)
25.07.2005 के जीएसआर सं.504 (ई)
25.07.2005 के जीएसआर सं.505 (ई)
29.07.2005 के जीएसआर सं.513 (ई)
22.12.2005 के जीएसआर सं.738 (ई)
19.01.2006 के जीएसआर सं.29 (ई)
11.07.2006 के जीएसआर सं.413 (ई)
14.11.2007 के जीएसआर सं.712 (ई)
14.11.2007 के जीएसआर सं.713 (ई)
29.11.2007 के जीएसआर सं.737 (ई)
05.08.2008 के जीएसआर सं.575 (ई)
30.12.2008 के जीएसआर सं.896 (ई)
01.12.2009 के जीएसआर सं.851 (ई)
21.04.2010 के जीएसआर सं.341 (ई)
10.11.2012 के जीएसआर सं.821(ई)
03.08.2012 के जीएसआर सं.606 (ई)
30.10.2012 के जीएसआर सं.796 (ई)
30.10.2012 के जीएसआर सं.797 (ई)
31.12.2012 के जीएसआर सं.945 (ई)
30.10.2012 के जीएसआर सं.795 (ई)
31.12.2012 के जीएसआर सं.946 (ई)
----- के जीएसआर सं.--- (ई)
22.01.2013 के जीएसआर सं.38 (ई)
----- के जीएसआर सं.--- (ई)
----- के जीएसआर सं.--- (ई)
----- के जीएसआर सं.--- (ई)
 ----- के जीएसआर सं.--- (ई)
 ----- के जीएसआर सं.---- (ई)
```

#### RESERVE BANK OF INDIA

#### (Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 26th March, 2013

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eighth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 195(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6, and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000), namely :—

# 1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Eighth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from April 1, 2013.

# 2. Amendment of Schedule 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000), in Schedule 5.

- (A) In paragraph 1,
- (i) in clause (e), for the words "the total holding of all FIIs put together", the words "the total holding of all eligible investors put together" shall be substituted;
- (ii) in clause (f), for the words "provided that the investment by all FIIs in Perpetual Debt instruments (Tier I)" the words "provided that the investment by all eligible investors in Perpetual Debt instruments (Tier I)" shall be substituted;
- (iii) in clause (f), the words "The investment by FIIs in Debt capital instruments (Tier II) shall be within the limits stipulated by SEBI for FII investment in corporate debt " shall be deleted.

- (iv) in clause (g), the words "subject to residual maturity as stipulated by Reserve Bank from time to time" shall be deleted.
- (v) in clause (h), the words "subject to residual maturity as stipulated by the SEBI and the Reserve Bank from time to time" shall be deleted.
- (vi) in clause (i), the words "subject to residual maturity as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time" shall be deleted.

#### (B) In paragraph 1A,

after clause (iv), the following new clause shall be added, namely:

- "(v) QFI may purchase, on repatriation basis through SEBI registered Qualified Depository Participant(QDP), either directly from the issuer or through a registered broker on recognized Stock Exchange in India the following securities, subject to terms and condition as specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time;
- (a) dated Government securities/ treasury bills;
- (b) commercial papers issued by an Indian company;
- (c) Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies provided that the total holding by an individual QFI in each tranche of scheme of Security Receipts shall not exceed 10 per cent of the issue and the total holdings of all eligible investors put together shall not exceed 49 per cent of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the Asset Reconstruction Companies;
- (d) Perpetual Debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital (Tier I capital and Tier II capital as defined by Reserve Bank, and modified from time to time) provided that the investment by eligible investors in Perpetual Debt instruments (Tier I) shall not exceed an aggregate ceiling of 49 per cent of each issue, and investment by individual QFI shall not exceed the limit of 10 per cent of each issue;
- (e) listed and unlisted non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company in the infrastructure sector, where 'infrastructure' is defined in terms of the extant ECB guidelines;

1309 GI/13-3

- (f) non-convertible debentures / bonds issued by Non-Banking Finance Companies categorized as 'Infrastructure Finance Companies'(IFCs) by the Reserve Bank:
- (g) Rupee denominated bonds/units issued by Infrastructure Debt Funds."
- (C) In paragraph 1B,
- (1) for the clause (i), the following shall be substituted:
  - "(i) Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds, Pension Funds which are registered with SEBI as eligible investors in Infrastructure Debt Funds may purchase on repatriation basis Rupee Denominated bonds/units issued by Infrastructure Debt Funds."
- (2) the following shall be substituted for the existing clause (iii), namely:
  - "(iii) Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds and Pension Funds and Foreign Central Banks registered with SEBI may purchase, on repatriation basis, either directly from the issuer of such securities or through registered stock broker on a recognised Stock Exchange in India, the following securities, subject to the terms and conditions as specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time, namely:
  - (a) dated Government securities/ treasury bills;
  - (b) commercial papers issued by an Indian company;
  - (c) units of domestic mutual funds;
  - (d) listed non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company;
  - (e) listed and unlisted non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company in the infrastructure sector, where 'infrastructure' is defined in terms of the extant ECB guidelines;
  - (f) non-convertible debentures/bonds issued by Non-Banking Finance Companies categorized as 'Infrastructure Finance Companies'(IFCs) by the Reserve Bank:
  - (g) Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies provided that the total holding by an individual long term investor in each tranche of

scheme of Security Receipts shall not exceed 10 per cent of the issue and the total holdings of all eligible investors put together shall not exceed 49 per cent of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the Asset Reconstruction Companies;

- (h) Perpetual Debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital (Tier I capital and Tier II capital as defined by Reserve Bank, and modified from time to time) provided that the investment by all eligible investors in Perpetual Debt instruments (Tier I) shall not exceed an aggregate ceiling of 49 per cent of each issue, and investment by individual long term investor shall not exceed the limit of 10 per cent of each issue;
- (i) primary issues of non-convertible debentures / bonds provided such non-convertible debentures / bonds are committed to be listed within 15 days of such investment. In the event of such non-convertible debentures / bonds issued not being listed within 15 days of issuance, for any reason, then the long term investor shall immediately dispose of those non-convertible debentures / bonds either by way of sale to a third party or to the issuer and the terms of offer to long term investors should contain a clause that the issuer of such debt securities shall immediately redeem / buyback those securities from the long term investors in such an eventuality."
- (D) In paragraph 2, in sub-paragraph (1A), the clause (iv) shall be substituted with the following, namely
- "(iv) bonds / units issued by Infrastructure Debt Funds."

[No. FEMA. 272/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

#### Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001

```
G.S.R.No.
              4(E) dated 02.01.2002
 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341(E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 821(E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 945(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No.
                 dated
G.S.R.No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No.____ dated
G.S.R.No. ____ dated
G.S.R.No.
                dated
G.S.R.No.____ dated
G.S.R.No.
                dated
```